आयुक्त एवं निदेशक उद्योग

(ओ०डी०ओ०पी० प्रकोष्ठ) उत्तर प्रदेश
निर्यात भवन , द्वितीय तल , 8 कैन्ट रोड , कैसरबाग़ , लखनऊ 226001
टेली / फैक्स: +91-522-2202893
e-mail – odopcell@gmail.com
Website:http//www.odopup.in

पत्रांक:- 497 /ओ०डी०ओ०पी० प्रकोष्ठ ल०/ 2018 - 19 दिनांक : 13.2. 2019

समस्त उपायुक्त उद्योग
जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र
उत्तर प्रदेश।

विषय – एक जनपद एक उत्पाद कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षण एवं टूल किट प्रदान किये जाने हेतु दिशा निर्देशों के सम्बन्ध में।

शासनादेश संख्या 123 / 18-4-2018 – 18 (विविध) / 17टी०सी० दिनांक 25 जनवरी 2018 के बिंदु संख्या-5 में वर्णित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु एक जनपद एक उत्पाद कार्यक्रम के अंतर्गत जनपद विशेष हेतु चिन्हित उत्पाद से सम्बंधित सामान्य तकनीकी प्रशिक्षण , क्राफ्ट की बेसिक एवं एडवांस ट्रेनिंग एवं उद्यमिता विकास प्रशिक्षण विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से प्रदान किया जाना है।

उक्त के अनुपालन में प्रशिक्षण एवं टूलकिट वितरण सम्बन्धी दिशा-निर्देश संलग्न किये जा रहे हैं। इस क्रम में निर्देशित किया जाता है कि पात्र प्रशिक्षार्थियों का तत्काल चयन करते हुए संलग्न तालिका में अपने जनपद के सम्मुख अंकित प्रशिक्षणदायी संस्था से संपर्क कर प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ कराना सुनिश्चित करें। चूंकि प्रशिक्षण उपरान्त सभी प्रशिक्षार्थियों को टूल किट भी उपलब्ध करायी जानी है , अतः टूल किट के क्रय सम्बन्धी प्रक्रिया भी तत्काल प्रारंभ कर दें। समस्त प्रक्रिया संगत वित्तीय नियमों के आलोक में सम्पादित की जाए। आप अवगत ही हैं की वित्तीय वर्ष की समाप्ति सन्निकट है , अतः शीर्षतम प्राथमिकता के साथ समयबद्ध रूप से कार्य सम्पादित किया जाना आवश्यक है।

संलग्नक - एक जनपद एक उत्पाद कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षण एवं टूल किट प्रदान किये जाने विषयक दिशा-निर्देश।

(के० रविन्द्र नायक)
आयुक्त एवं निदेशक उद्योग
ओ०डी०ओ०पी० प्रकोष्ठ
लखनऊ

पृष्ठांकन संख्या 497 / उक्त तद्दिनांकित 13.2.2019
प्रतिलिपि

1- सचिव , सूक्ष्म ,लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन अनुभाग – 4 उ. प्र. शासन लखनऊ।
2- समस्त अपर / संयुक्त आयुक्त उद्योग , परिक्षेत्रीय उद्योग कार्यालय , उ.प्र.।
3- अपर आयुक्त उद्योग , हस्तशिल्प अनुभाग – 13 ,उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय , उ. प्र. कानपुर।
4- सम्बंधित प्रशिक्षण संस्था उद्यमिता विकास संस्थान लखनऊ / उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन / उत्तर प्रदेश इंस्टिट्यूट ऑफ़ डिजाईन को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सम्बंधित उपायुक्त उद्योग से तत्काल संपर्क स्थापित कर प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ करना एवं टूलकिट प्रदान करना सुनिश्चित करें ।

(के० रविन्द्र नायक)
आयुक्त एवं निदेशक उद्योग
ओ०डी०ओ०पी० प्रकोष्ठ
लखनऊ

एक जनपद एक उत्पाद कार्यक्रम के अंतर्गत जनपद विशेष हेतु चिन्हित उत्पाद से सम्बन्धी सामान्य तकनीकी प्रशिक्षण, क्राफ्ट की बेसिक एवं एडवांस्ड ट्रेनिंग एवं उद्यमिता विकास प्रशिक्षण विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से प्रदान कराने हेतु शासनादेश दिनांक 25 जनवरी, 2018 के बिंदु संख्या- 5 में वर्णित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु दक्षता एवं कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान किये जाने हेतु दिशा-निर्देश।

1- उद्देश्य :

इस कार्यक्रम के अंतर्गत निर्धारित किये गए उद्देश्यों की पूर्ति हेतु जनपदवार चिन्हित किये गए ओ०डी०ओ०पी० उत्पादों के निर्माण की विधा में विशिष्ट प्रशिक्षण तथा सामान्य उद्यमिता विकास प्रशिक्षण प्रदान कराते हुए उत्पाद में गुणात्मक सुधार कराना एवं उत्पादक में उद्यमिता का संचार करना है जिससे उत्पाद की बाज़ार मांग में वृद्धि हो तथा उत्पादक को मूल्य वृद्धि का लाभ पहुंचे।

2- प्रशिक्षार्थी की पात्रता :

(1) आवेदन करने की तिथि को प्रशिक्षार्थी की आयु कम से कम 18 वर्ष की होनी चाहिए।

(2) प्रशिक्षार्थी को उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।

(3) शैक्षिक योग्यता की कोई बाध्यता नहीं होगी।

(4) आवेदक द्वारा भारत अथवा प्रदेश सरकार की अन्य किसी योजनान्तर्गत उत्पाद से सम्बंधित टूलकिट का लाभ विगत 02 वर्षों में प्राप्त नहीं किया हो।

(5) आवेदक अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य को योजनान्तर्गत केवल एक बार ही लाभान्वित किया जाएगा। परिवार का आशय पति एवं पत्नी से है।

(6) आवेदक द्वारा पात्रता की शर्तों को पूर्ण किये जाने के सम्बन्ध में घोषणा पत्र प्रस्तुत किया जाएगा।

3- चयन की प्रक्रिया :

(1) आवेदक द्वारा निर्धारित प्रारूप पर सम्बंधित जनपद के उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहान केंद्र के कार्यालय में आवेदन पत्र जमा करना होगा। आवेदन के साथ समस्त आवश्यक प्रपत्र संलग्न किये जायेंगी।

(2) प्रशिक्षणार्थियों का चयन निम्नानुसार गठित चयन समिति द्वारा किया जाएगा :

1- उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्र (अध्यक्ष)

2-ODOP उत्पाद से जुड़े विभाग का जनपद स्तर का अधिकारी अथवा उक्त अधिकारी के जनपद में उपलब्ध न होने की स्थिति में ज़िला खादी एवं ग्रामोद्योग अधिकारी (सदस्य)

3- जनपद समन्वयक, कौशल विकास मिशन (सदस्य)

4- प्रधानाचार्य, आई० टी० आई० (सदस्य)

5- उपायुक्त उद्योग द्वारा नामित ओ० डी० ओ० पी० उत्पाद से सम्बंधित जनपद के 2 विशिष्ठ उद्यमी

(3) समिति द्वारा कुशल एवं अकुशल कारीगरों / हस्तशिल्पियों का चयन किया जाएगा। कुशल कारीगरों के चयन में नामित विशिष्ठ उद्यमियों के मत को प्राथमिकता दी जाएगी ।

4- प्रशिक्षण के सम्बन्ध में निर्देश :

(1) उत्तरप्रदेश कौशल विकास मिशन, उत्तरप्रदेश डिजाईन संस्थान (UPID), उद्यमिता विकास संस्थान, आई०टी०आई०, पॉलिटेक्निक एवं भारत सरकार अथवा प्रदेश सरकार से मान्यता प्राप्त ऐसी संस्थायें जो इस प्रकार के प्रशिक्षण प्रदान करती हों , प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु पात्र होंगी |

(2) पूर्व से कुशल हस्तशिल्पियों/कारीगरों को RPL (Recognition of Prior Learning) के अंतर्गत निर्धारित प्रशिक्षण प्रदान कर विभिन्न SSCs (Sector Skill Councils) अथवा प्रमाणीकरण करने वाली अन्य संस्थाओं के माध्यम से हस्तशिल्पियों/कारीगरों का प्रमाणीकरण किया जाएगा |

(3) अकुशल हस्तशिल्पियों/कारीगरों को 10 दिवस का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा | तत्पश्चात RPL (Recognition of Prior Learning) के अंतर्गत इन हस्तशिल्पियों/कारीगरों का भी प्रमाणीकरण किया जाएगा | प्रशिक्षणदायी संस्थाओं द्वारा अपने पाठ्यक्रम में RPL (Recognition of Prior Learning) पाठ्यक्रम भी समाहित किया जएगा एवं RPL हेतु ASSESSMENT सम्बन्धी समस्त व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी |

(4) कुशल एवं अकुशल हस्तशिल्पियों/कारीगरों का चिन्हांकन जिले स्तर पर संबधित उपायुक्त उद्योग द्वारा किया जाएगा |

(5) ODOP उत्पादों की जिन विधाओं के प्रमाणीकृत पाठ्यक्रम कौशल विकास मिशन में उपलब्ध हैं उन विधाओं का प्रशिक्षण कौशल विकास मिशन द्वारा प्रदान किया जाएगा | जिन विधाओं के प्रमाणीकृत पाठ्यक्रम उपलब्ध नहीं हैं, उनके सम्बन्ध में विभाग द्वारा जनपदों से TNA (Training Need Analysis) के आधार पर सूचना

द्वारा किया जाएगा | टूलकिट का निर्धारण जनपदवार नहीं अपितु उत्पादवार किया जाएगा

(3) अधिकतम रु० 20,000/- तक की टूलकिट का क्रय सम्बंधित जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्र द्वारा किया जाएगा |

(4) टूलकिट का क्रय GeM (Government e-Marketplace) के माध्यम से किया जाएगा | टूलकिट GeM पर उपलब्ध न होने की स्थिति में संगत वित्तीय नियमों के अंतर्गत क्रय प्रक्रिया संपादित की जायेगी |

(5) धनाभाव के कारण चालू वित्तीय वर्ष में प्रशिक्षित व्यक्ति को टूल किट न मिलने की स्थिति में आगामी वित्तीय वर्ष में ऐसे प्रशिक्षित व्यक्ति को प्राथमिकता के आधार पर टूल किट प्रदान किया जाएगा |

7- विविध :

(1) बजट की उपलब्धता के आधार पर आयुक्त एवं निदेशक उद्योग द्वारा जनपदवार लक्ष्यों का निर्धारण किया जाएगा | आवश्यकता पड़ने पर अंतर्जनपदीय लक्ष्यों का पुनर्निर्धारण भी किया जा सकेगा |

(2) प्रत्येक जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्र द्वारा इस हेतु सार्वजनिक प्रेस विज्ञप्ति निकाली जायेगी एवं प्रचार-प्रसार किया जाएगा |

(3) प्रत्येक प्रशिक्षण एवं टूल किट वितरण कार्यक्रम का समस्त विवरण यथा – फोटोग्राफ, प्रतिभागियों की संख्या, उपस्थिति की स्थिति आदि रिकॉर्ड के रूप में सम्बंधित जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्र में संरक्षित किया जाएगा |

(4) प्रशिक्षणदायी संस्था को उपस्थिति पंजिका एवं 7 (3) में अंकित सभी अभिलेख रक्षित करने होंगे एवं प्रशिक्षण समाप्ति पर जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्र को उपलब्ध करानी होगी |

प्राप्त करते हुए प्रमाणीकृत पाठ्यक्रम तैयार करने हेतु पृथक से प्रस्ताव उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन को प्रेषित किया जाएगा जिसके आधार पर कौशल विकास मिशन द्वारा प्रमाणीकृत पाठ्यक्रम तैयार किया जाएगा |

(6) प्रमाणीकृत पाठ्यक्रम उपलब्ध होते ही उच्च कोटि की प्रशिक्षणदायी संस्थाओं का चयन कर प्रशिक्षण प्रदान किया जएगा | संस्थाओं का चयन आयुक्त एवं निदेशक उद्योग महोदय द्वारा किया जाएगा

(7) प्रति बैच अधिकतम 25 प्रशिक्षार्थी होंगे |

(8) प्रशिक्षण कार्यक्रम निशुल्क एवं आवासीय होगा |

(9) प्रशिक्षार्थी को प्रतिदिन रु० 200 मानदेय के रूप में दिया जाएगा | प्रशिक्षणदायी संस्था द्वारा प्रशिक्षण के सम्बन्ध में उपायुक्त उद्योग की संतुष्टि के पश्चात प्रशिक्षार्थियों का मानदेय अपने स्तर से DBT के माध्यम से प्रशिक्षार्थी के खाते में किया जाएगा |

5- प्रशिक्षणदायी संस्था को भुगतान :

(1) प्रशिक्षण प्रदान करने वाली संस्था को प्रशिक्षण शुल्क के रूप में प्रति प्रशिक्षार्थी प्रति दिन रु० 700 /- की सीमा तक वास्तविक व्यय का भुगतान किया जाएगा जिसमें प्रशिक्षक, प्रशिक्षण स्थल, प्रशिक्षार्थी के रहने का प्रबंध एवं प्रमाण-पत्र आदि का व्यय सम्मिलित होगा | प्रशिक्षार्थी के खान-पान पर प्रति प्रशिक्षार्थी प्रति दिन रु० 300/- की सीमा तक का वास्तविक व्यय किया जाएगा | उक्त के अतिरिक्त प्रमाणीकरण पर आने वाले व्यय का भगतान भी निदेशालय द्वारा प्रशिक्षणदायी संस्था को किया जाएगा | प्रशिक्षणदायी संस्था द्वारा प्रमाणीकरण होने के पश्चात उक्त धनराशी प्रमाणीकरण संस्था के स्थानांतरित की जायेगी |

(2) प्रशिक्षणदायी संस्था को कुल देय धनराशी का 50% भुगतान प्रशिक्षण प्रारम्भ होने पर एवं अवशेष 50% भुगतान प्रशिक्षण की संतोषजनक समाप्ति पर किया जाएगा | सम्बंधित जनपद के उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग केंद्र द्वारा प्रशिक्षण के संतोषजनक संपादित होने की स्थिति को प्रमाणीकृत किया जाएगा एवं उक्त के सम्बन्ध में ODOP प्रकोष्ठ को सूचित किया जाएगा |

6- टूलकिट वितरण :

(1) उपरोक्तानुसार प्रशिक्षण प्राप्त हस्तशिल्पियों/कारीगरों को विभाग द्वारा निशुल्क उन्नत टूलकिट उपलब्ध कराई जायेगी |

(2) टूलकिट के टूल्स एवं मूल्य का अंतिम निर्धारण उपायुक्त उद्योग द्वारा उपलब्ध कराई गयी सूचना के आधार पर आयुक्त एवं निदेशक उद्योग की अध्यक्षता में गठित समिति